अपील सूचना अधिकार संख्या 65/2020 (RCMS 2020/00112) प्रमोद देरासरी पुत्र ललित देरासरी साकिन वार्ड नं 38 नया ढाब के पास, पवन किरयाना स्टोर के सामने सूरतगढ–335804 (श्रीगंगानगर) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

26.08.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिनांक 28.07.2020 एवं 19.08.2020 को उपस्थित हुआ था किन्तु आज अपीलार्थी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **अपीलार्थी ने सूचना का अ**धिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ के** समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2020 प्रस्तुत करके 01 बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत करके वांछित सूचना दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रमोद देरासरी ने दिनांक 03.02.2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> अस्थाई आवंटन पत्रावली श्री ओंकार मल पुत्र माणकराम जाति ब्राह्मण साकिन सूरतगढ के नाम से रोही मोजां, सूरतगढ (कस्बा) के खसरा नं 391 में 25 बीघा आवंटन पत्रावली की सम्पूर्ण नकल दिलवाई जाए।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने दिनांक 19.08.2020 से अपील पत्र का जवाब भिजवाते हुए अपीलार्थी को पत्रांक रीडर/2020/34 दिनांक 27.02.2020 से दिये गये जवाब की प्रति संलग्न कर भिजवाई है, जिसके अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ओंकारमल पुत्र माणकाराम जाति ब्राह्मण साकिन सूरतगढ के नाम से रोही मौजां सूरतगढ कस्बा के खसरा नं 391 में 25.00 बीघा आवंटन की पत्रावली की सम्पूर्ण नकल चाही जा रही है के सम्बन्ध में सूचित रहे कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली संख्या, दिनांक अथवा आवंटन वर्ष इत्यादि का विवरण अंकित नहीं किया है।

अतः चाही गई सूचना खोजकर खोजे गए तथ्यों पर आधारित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती है। कृपया सूचित रहें।

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए **तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ द्वारा दिनांक 27.02.2020 से अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, फिर भी सूचना के अधिकार की भावना को देखते हुए तहसीलदार, सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि पत्रावली से सम्बन्धित विवरण सूचना दे तो वांछित सूचना उसे उपलब्ध करवा दी जावे।**

अतः **उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर